न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **03/23 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2023/91

1. लेहरसिंह पिता जालमसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी माल का खेड़ा, लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के बजाय

1/1 श्री कमलेन्द्रसिंह पुत्र स्व. लेहरसिंह राजपूत निवासी माल का खेडा लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/2 श्री गणपतसिंह पुत्र स्व. लेहरसिंह राजपूत निवासी माल का खेडा लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/3 जीवनसिंह पुत्र स्व. लेहरसिंह जाति राजपूत निवासी माल का खेडा लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/4 श्रीमती गोपालकुंवर पत्नी स्व. लेहरसिंह राजपूत निवासी माल का खेडा लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. नाना पिता अमरा जी जाति गुजर, उम्र वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. प्रताबी बाई पत्नी दुदा उर्फ उदा जी जाति गुजर, उम्र वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी, पटवार हल्का खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सुरेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

2. श्री पंकज औदिच्य, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.10.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेमपुर, पटवार क्षेत्र खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 674 रकबा 0.8822 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

हक से अंकित है। आराजी नम्बर 663 रकबा 0.2428, आराजी नम्बर 664 रकबा 0.1781 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 665 रकबा 2.2500 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 2 के नाम पर 1/2 हिस्सानुशार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित है।

2. यह कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये खेमपुर से लदानी जाने–आने वाले डामरीकृत सड़क अर्थात आराजी नम्बर 432 किस्म रास्ता के सटमा पूर्वी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 663, 664, 665 के दक्षिणी भाग की भूमि पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ 15 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है जो आराजी नम्बर 674 की पश्चिमी दिशा के सटमा तक बना हुआ है, जिससे होकर हमारे पूर्वज अपने जीवनकाल में एवं उनके पश्चात् में प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन हमारी कृषि भूमि पर आते जाते रहे हैं। इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा हमारी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे हैं तथा इस रास्ते के दोनों किनारों पर वर्तमान में सीमेन्ट के पोल खड़े पर लौहे की झाली बंधी हुई हैं।

3. यह कि प्रार्थी के पास कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये उक्त वर्णित कृषि भूमि में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। परन्तु वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा उक्त वर्णित आराजी पर सदीप से बने रास्ते को जोर जबरदस्ती अपनी जमीन में मिलाकर रास्ते को अवरूद्ध करने पर उतारू हो रहे है तथा इसी उद्देश्य से रास्ते के पश्चिमी मुहाने पर जबरन लौहे की झाली लगाकर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से भी रोक दिया हैं और समझाने पर भी नहीं मान रहे है। विपक्षी संख्या 1. 2 द्वारा मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से मैं प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रहा हूँ और न ही अपनी जमीनों की सार सम्भाल, हकाई, बाड़ वगैरा ही करवा सक रहा हूँ जिससे मुझ प्रार्थी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। मुझ प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1, 2 को उनकी आराजी के दक्षिणी भाग पर स्थित रास्ते से मुझ प्रार्थी को मेरी जमीन पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में रूकावट उत्पन्न नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

करने हेतु समझाईश की किन्तु विपक्षी संख्या 1, 2 ने उक्त रास्ते से मुझ प्रार्थी को आवागमन करने देने एवं संज बैल, ट्रेक्टर इत्यादि ले जाने एवं लाने देने से साफ इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मुझ प्रार्थी की जमीनों में आवागमन करने के लिये मुख्य रास्ते से विपक्षी संख्या 1, 2 की खातेदारी की आराजी का वर्णन किया है उसमें बैलगाडी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके उतनी चौडाई का रास्ता विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि हम प्रार्थीगण अदा/ जमा कराने को तैयार हैं।

4. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया है।

5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है। क्योंकि मेरी जमीन में आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1, 2 की आराजी नम्बर 663, 664, 665 के दक्षिणी भू भाग पर ही सदीप से बना हुआ है जिससे होकर ही मेरे पूर्वज पहले आते–जाते थे एवं मैं प्रार्थी भी इसी रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आता जाता रहा हूँ। लेकिन वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा उक्त रास्ते के मुहाने पर लौहे की झाली लगाकर मुझको आने–जाने से रोक देने से एवं मेरी जमीन में आने जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही होने की वजह से वर्तमान में मैं प्रार्थी अपनी जमीनों में जाकर खेतो की साफ सफाई, बाड़ वगैरा भी नही करवा पा रहा हूँ। ऐसी अवस्था में मुझ प्रार्थी की जमीनो तक पहुंचने के लिये विपक्षी संख्या 1, 2 की आराजी में विधिक रूप से मार्ग कायम कराया जाना न्यायसंगत होकर आवश्यक है और विपक्षी संख्या 1, 2 की आराजी भूमि में मार्ग कायम करना इसलिये भी सुविधाजनक है क्योंकि विपक्षी संख्या 1, 2 की खातेदारी की कृषि भूमि मुख्य रास्ते एवं मेरी भूमियो के ठीक मध्य (सटमा) और निकट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार विधिक रूप से मार्ग कायम करने से विपक्षी संख्या 1 से 5 को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि विधिक रूपये मार्ग कायम नहीं करने से मैं प्रार्थी मेरी कृषि भूमि में आवागमन नही कर सकूंगा और सदैव के लिये मेरी जमीनो के उपयोग उपभोग से महरूम हो जाऊगां और व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढ़ जावेगी जिससे मुझ प्रार्थी को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी जिसका आंकलन किसी भी सूरत में किया जाना सम्भव नही होगा और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत भी होगा। सुविधा सन्तुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मेरे पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01.08.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 ने उनकी भूमि में स्थित रास्ते के मुहाने पर लौहे की झाली लगाकर उससे मुझ प्रार्थी को आवागमन करने से रोक दिया और समझाईश करने पर भी नहीं माने और मेरे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि मुझ प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने तक के लिए विपक्षी संख्या 1, 2 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 663, 664, 665 के दक्षिणी भू भाग (जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित किया गया है) पर 15 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग विधिक रूप से कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में ''रास्ता'' के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 3, 4 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1, 2 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1, 2 उनकी भूमि में स्थित उक्त रास्ते से होकर प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

करने देवें, हांके नही, बाड़ नही करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वास्तव में प्रार्थी को अपनी वर्णित आराजीयात खसरा संख्या 674 में आवागमन के लिए मूल रास्ता नजरी नक्शे में अंकित खसरा संख्या 658 के दक्षिण दिशा में स्थित अन्य आराजीयात में से होकर खसरा संख्या 675 के पूर्वी सीमा से सटता हुआ खसरा संख्या 674 के दक्षिणी–पूर्वी मुहाने तक स्थित है, जिसका उपयोग प्रार्थी व उसके पूर्वज विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे है, एवं वर्तमान में भी प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग किया जाता चला आ रहा है, जो कि खेमपुर से लदानी जाने वाले डामरीकृत रोड़ पर पहले उक्त वर्णित रास्ता स्थित है, तपश्चात् प्रार्थी द्वारा वर्णित रास्ता स्थित है। लहरसिंह के साथ आपसी मधुर संबध होने एवं प्रार्थी को उक्त वर्णित मूल रास्ते के लम्बा होने के कारण आवागमन हेतु प्रार्थी ने मुझ विपक्षी से अपने हिस्से प्राप्त कृषि भूमि में से आवागमन हेतु सुलभ होने के उद्देश्य से सद्भावनावश मुझ विपक्षी की आराजीयात में से होकर अपनी उक्त वर्णित भूमि में आवागमन की सुविधा मांगी एवं मुझ विपक्षी की आराजीयात में से होकर आवागमन किए जाने के बदले में मुझ विपक्षी की कृषि भूमि के सटमा तीन बिस्वा भूमि मुझ विपक्षी के नाम सुपुर्द कर मेरे नाम से खातेदारी अधिकारों के साथ दर्ज करवाने का आश्वासन दिया जिस पर मुझ विपक्षी ने सद्भावना पूर्वक अपनी उक्त वर्णित आराजीयात में से होकर प्रार्थी को आवागमन का अधिकार प्रदान किया एवं प्रकरण में वर्णित रास्ता कायम किया। जिस पर स्थित सीमेन्ट के पोल एवं जालियाँ हम दोनो ही पक्षकार के संयुक्त खर्च से लगाई गई होकर स्थित है, जिसका वर्णन प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में किया है, जिस बाबत् प्रार्थी जीवनसिंह एवं मुझ विपक्षी के पुत्र लक्ष्मणसिंह के मध्य एक सहमती करार भी निष्पादित हुआ जो दिनांक 10–08–2023 को रूबरू मौतबीरान के निष्पादित किया गया होकर उसी अनुसार मौके पर रास्ते का अस्तित्व आया। किन्तु प्रार्थी के मन में लालच व दुर्भावना आ जा[illegible]र्थी अपनी तीन बिस्वा भूमि मुझ विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

के खातेदारी से दर्ज कराए बिना ही विधि का दुरूपयोग कर वास्तविक तथ्य न्यायालय से छिपाते हुए दाद प्राप्त करना चाहता है, जो कि पुरी तरह गलत है। प्रार्थी के अपनी भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थनापत्र में वर्णित एकमात्र रास्ता नहीं होकर अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है, जिसका उपयोग प्रार्थी द्वारा विगत कई वर्षों से किया जाता चला आ रहा है। प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ता दिनांक 10–08–2023 को प्रार्थी जीवनसिंह व मुझ विपक्षी के पुत्र लक्ष्मणसिंह के मध्य निष्पादित किए गए करार के पश्चात् ही अस्तित्व में आया है, जो कि समझौता करार दिनांक 10–08–2023 में वर्णित कथनों से ही स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ता दिनांक 10–08–2023 को अस्तित्व में आया है। मौके पर मौजूद सिमेन्ट के पोल व लोहे की जालियों दोनो ही पक्षकारान के संयुक्त खर्च से लगी है, मात्र तीन बिस्वा भूमि का मुझ विपक्षी को नहीं देने के उद्देश्य से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पेश कर न्यायालय से दाद चाही गई है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ते के वर्षों पूर्व से उपयोग किए जाते रहे होने संबधी गलत कथन किए है, एवं इन मिथ्या कथनों के समर्थन में शपथपत्र भी पेश किया है, जो पुरी तरह विधि विरुद्ध है।

9. यह कि प्रार्थी उक्त ईकरार से मुकरते हुए बिना अपनी खातेदारी की तीन बिस्वा भूमि के मुझ प्रार्थी को दिए जाने एवं ताकत के बल पर व विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग कर न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों का कथन कर रास्ता प्राप्त करना चाहता है, जो कि विधि विरूद्ध हो प्रार्थी को इसका अधिकार प्राप्त नहीं है। पूर्व में मधुर संबंधों के चलते मुझ प्रार्थीया/विपक्षी ने प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग किए जाने हेतु जरिए करार अपनी सहमति प्रदान की किन्तु वर्तमान में प्रार्थी द्वारा उक्त सामलाती रास्ते का उपयोग किए जाने से मुझ विपक्षी को रोके जाने एवं प्रार्थी द्वारा आए दिन रास्ते में शराब आदि की बोलते डाल झगड़ा करने व प्रार्थी द्वारा निष्पादित किए गए करार 10–03–2023 की शर्तों की पालना नहीं किए जाने के कारण प्रार्थी अब उक्त वर्णित रास्ते का उपयोग किए जाने का अधिकारी नहीं है।

10. यह कि प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ता एकमात्र रास्ता नहीं होकर अन्य रास्ता उपलब्ध है, जिसका उपयोग प्रार्थी विगत समय से करता चला आ रहा है। प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ता दिनांक 10–08–2023 को अस्तित्व में आया। प्रस्तुत प्रकरण किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

भी प्रकार से प्राईमाफेसी नहीं है, न ही सुविधा सन्तुलन एवं क्षति का अस्तित्व प्रार्थी के पक्ष में है।

11. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र गलत व निराधार कथनों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष मौके एवं तथ्यों की वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए अधूरे व मिथ्या कथनों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जो सव्यय खारीज फरमाया जावे।

12. तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली के अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते कि अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 674 पर पहुंचने के लिए नक्शे अनुसार ग्राम खेमपुर के आराजी नम्बर 663, 664 एवं 665 के दक्षिणी भाग कि भूमि पर पश्चिमी से पूर्व कि ओर जाता हुआ 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो कि न्यूनतम दूरी वाला रास्ता है। प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते कि चौडाई (15 फीट) होकर रास्ते के रूप में प्रस्तावित रकबा 0.0279 हैक्टेयर बनता है। प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा 0.0279 हैक्टेयर है। अंत में निवेदन किया की रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक मावली एवं पटवारी हल्का खेमपुर मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस, तथा जमाबन्दी नकल मूल ही संलग्न कर श्रीमान् जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा निम्नानुसार गणना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

क्र. सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार एवं हिस्सा	डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर	राशि (रूपये)
1	663	0.2428	0.0183	नाना पुत्र अमरा 1/2 प्रताबी बाई पत्नी दुदा उर्फ दुदा 1/2	100200X2 100200X2	18337 18337
2.	664	0.1781	0.0032	नाना पुत्र अमरा 1/2 प्रताबी बाई पत्नी दुदा उर्फ दुदा 1/2	100200X2 100200X2	3206 3206
3	665	2.2500	0.0064	नाना पुत्र अमरा 1/2 प्रताबी बाई पत्नी दुदा उर्फ दुदा 1/2	100200X2 100200X2	6413 6413
कुल योग :–						55912

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

13. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए विपक्षी की खसरा संख्या 663 में 15 फीट चौड़ा रास्ता विगत कई वर्षों से कायम होने व इस रास्ते का उपयोग प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा किया जाता रहा होने संबंधी समस्त कथन पूर्णतया गलत अंकित किए गए है। प्रार्थनापत्र में वर्णित मांगा गया रास्ता सहमति करार दिनांक 10–08–2023 के पूर्व कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा। प्रार्थी व उसके पूर्वजों द्वारा विगत कई वर्षों से अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 674 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 658 के दक्षिण दिशा में स्थित रास्ते से होकर खसरा संख्या 675 के पूर्वी सीमा से सटता हुआ खसरा नम्बर 674 के दक्षिण–पूर्वी मुहाने तक स्थित हो जिसका उपयोग प्रार्थी व उसके पूर्वजों द्वारा किया जाता चला आ रहा है जो कि प्रस्तुत सलंग्न नजरी नक्शे से स्पष्ट है। प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ता अस्तित्व में ही दिनांक 10–08–2023 को आया कि जब प्रार्थी लहरसिंह के पुत्र जीवनसिंह, जो कि वर्तमान में प्रकरण में प्रार्थी की हैसियत से कायम है, अतः जीवनसिंह व विपक्षी संख्या 2 के पुत्र लक्ष्मण गुर्जर के मध्य प्रार्थी द्वारा आवागमन की सुविधा मांगे जाने पर निष्पादित किए गए सहमति करार दिनांक 10–08–2023 से अस्तित्व में आया। सहमति ईकरार दिनांक 10–08–2023 के अनुसार विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी भूमि में से दिए जाने वाले प्रस्तावित रास्ते के बदले प्रार्थी द्वारा 3 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 को खातेदारी हैसियत से अदा किए जाने का ईकरार किया गया साथ ही वर्तमान में रास्ते पर मौजूद खम्भे व लोहे की जालीयाँ दोनो ही पक्षकारान के संयुक्त व्यय से लगे होकर दोनो ही पक्षकारान प्रस्तावित रास्ते का उपयोग करने के अधिकारी रहेंगे। इस प्रकार उक्त ईकरार दिनांक 10–08–2023 के पश्चात् प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ता अस्तित्व में आया किन्तु प्रार्थी द्वारा कभी भी ईकरार दिनांक 10–08–2023 में वर्णित शर्तों की पालना नहीं की गई न ही प्रस्तावित रास्ते के बदले तीन बिस्वा भूमि का स्वामित्व विपक्षी संख्या 2 को ही प्रदान किया गया और न ही मौके पर ईकरार के परिणामस्वरूप प्रस्तावित रास्ते का उपयोग विपक्षी संख्या 2 को शान्तिपूर्वक निर्बाध ढंग से ही करने दिया बल्कि दुर्भावनापूर्ण विधि का दुरूपयोग करते हुए प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र सशपथ गलत कथन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वास्तव में न तो प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में चाहा गया रास्ता एक मात्र रास्ता है, न ही मौके पर प्रार्थी व उसके पूर्वजों द्वारा विगत कई वर्षों से उक्त वर्णित रास्ते का उपयोग ही किया जाता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित समस्त कथन पूर्णतया मिथ्या, निराधार एवं गलत अंकित किए गए होने एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित मांगा गया रास्ता एकमात्र रास्ता न हो अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो प्रार्थी व उसके पूर्वजों द्वारा विगत कई वर्षों से उस वैकल्पिक रास्ते का उपयोग आवागमन हेतु किया जाता रहा होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वय खारीज फरमाया जावे।

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 434 पर दर्ज आराजी नम्बर 674 रकबा 0.8822 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है। विपक्षी संख्या 2 का कथन है कि तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते से प्रार्थी द्वारा कभी आवागमन नही किया गया, इस कारण से प्रार्थी को उक्त रास्ता नही दिया जा सकता है। यह रास्ता प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य ईकरार दिनांक 10.08.2023 के पश्चात दिया गया था परन्तु किये गए ईकरार प्रार्थीगण स्वयं ही नही मान रहे है इस कारण से उक्त रास्ता नही दिया जा सकता है। न्यायालय इस कथन से संतुष्ट नही है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत निकटतम रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है उससे खातेदार का आवागमन चाहे नही रहा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सार्वजनिक रास्ते एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 674 के मध्य विपक्षी संख्या 1 से 2 की आराजी नम्बर 663, 664, 665 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 2 की आराजी नम्बर 663, 664, 665 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते का रकबा 0.0279 हैक्टेयर भूमि बनता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। डीएलसी 1002000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दुगुनी दर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 279 वर्गमीटर के 55912 रूपये बनते है। उक्त राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 से 2 को दी जाकर रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की आराजी नम्बर 663, 664, 665 किता 3 कुल रकबा 2.6709 हैक्टेयर भूमि में से 0.0279 हैक्टेयर रास्ते में प्रयुक्त होने वाली 279 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत का दुगुना 55,912/– रूपयें पचपन हजार नो सौ बारह रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार प्रत्येक को 27,956 /– रूपये देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested